छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के संचालक मण्डल की दिनांक 20.05.2026 को आयोजित 86वॉ बैठक का कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के संचालक मण्डल की 86वॉ बैठक दिनांक 20.05.2026 को दोपहर 3:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थित रहे :–

1	माननीय श्री अनुराग सिंह देव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, जिला–रायपुर	अध्यक्ष
2	श्री डी.एस. भारद्वाज विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर रायपुर	सदस्य
3	श्री अवनीश कुमार शरण, आयुक्त, नगर तथा निवेश नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर	सदस्य
4	श्री निखिल अग्रवाल, प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर रायपुर	सदस्य
5	श्री जी.आर.रावटे., प्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर	सदस्य
6	श्री हितेश बोरड, प्रतिनिधि क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, रायपुर	सदस्य
7	श्री अवनीश कुमार शरण, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर	सदस्य सचिव

मण्डल सम्मिलन में गणपूर्ति पश्चात् बैठक प्रारंभ की गई तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

एजेण्डा–01 संकल्प कं. 2184/01/86/05/2026.

विषयः– संचालक मण्डल की 85वॉ बैठक दिनांक 12.12.2025 के कार्यवाही–विवरण की पुष्टि।

संचालक मण्डल, दिनांक 12.12.2025 को आयोजित 85वॉ बैठक के कार्यवाही विवरण से अवगत हुआ तथा उसकी पुष्टि की गई ।

––02––

एजेण्डा–02 संकल्प कं. 2185/02/86/05/2026.

विषयः–संचालक मण्डल की 85वॉ बैठक दिनांक 12.12.2025 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन।

संचालक मण्डल, दिनांक 12.12.2025 को आयोजित 85वॉ बैठक के कार्यवाही विवरण पर प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन की कार्यवाही से अवगत हुआ।

एजेण्डा–03 संकल्प कं. 2186/03/86/05/2026.

विषयः– मण्डल की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा मण्डल सम्मिलन में सूचनार्थ रखे जाने बाबत्।

संचालक मण्डल की उच्चाधिकार प्राप्त उप समिति द्वारा स्वीकृत की गई निम्नलिखित निविदा से अवगत हुआ :–

क्र.	निविदा का विवरण	उच्चाधिकार प्राप्त उप समिति की बैठक दिनांक	संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रशासकीय व्यय	
			मण्डल सम्मिलन दिनांक, संकल्प क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5
01	**कार्य का नाम :–** सामान्य आवास योजनांतर्गत नरदहा रायपुर में प्रस्तावित 59 एल.आई.जी. 22 एम.आई.जी. एवं 11 दुकानों के निर्माण कार्य (फेस–4) एवं भूमि बाह्य विकास कार्य (पार्ट) की निविदा स्वीकृति बाबत्। **प्रपत्र :–** अ **स्वीकृत निविदा दर/राशि :–** रू. 11,85,47,985.00 as per 9.50% Above PWD SOR **ठेकेदार का नामः–** मे. अशोक केजरीवाल (CGeR00526), अ वर्ग ठेकेदार, सारंगढ़ **समय सीमाः–** 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	12.12.2025	67वां मण्डल सम्मिलन दि. 06.03.2021 के एजेण्डा क्र. 07 संकल्प क्र. 1886/07/67/03/2021	रू. 3637.13 लाख
02	**कार्य का नाम :–** सामान्य आवास योजनांतर्गत सेजबहार, फेस–02, रायपुर में 25 सीनियर एम.आई.जी. (प्लेटिनम), 13 जूनियर एम.आई.जी.–।।, एवं 20 एल.आई.जी. (ब्रांज) स्वतंत्र भवन का निर्माण कार्य। **प्रपत्र :–** अ **स्वीकृत निविदा दर/राशि :–** रू. 11,68,95,984.00 as per 6.30% Above PWD SOR **ठेकेदार का नामः–** मे. एन.के. ट्रेडर्स (CGeR12726), अ वर्ग ठेकेदार, रायपुर **समय सीमाः–** 18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	12.12.2025	69वां मण्डल सम्मिलन दि. 20.01.2022 के एजेण्डा क्र. 03 संकल्प क्र. 1919/03/69/01/2022 (पुनरीक्षित)	रू. 19458.00 लाख (पुनरीक्षित)

03	**कार्य का नाम :–** स्ववित्तीय आवास योजनांतर्गत ट्विनसिटी तालपुरी रूआबांधा, दुर्ग– भिलाई, ब्लॉक–सी में व्यावसायिक सह आवासीय परिसर अंतर्गत 144 नग सैफ्रन (3बी.एच.के. जी+8) एच.आई.जी. प्रकोष्ठ भवन, 08 नग लैवेंडर (2बी.एच.के. जी+8) एच.आई.जी.–।। प्रकोष्ठ भवन, 48 नग जास्मिन (2बी.एच.के. एस+6) एल.आई.जी. प्रकोष्ठ भवन, 80 नग मेरीगोल्ड (1बी.एच.के. जी+3) ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ भवन एवं 41 मेजनाईन शॉप का निर्माण एवं विकास कार्य की निविदा स्वीकृति के संबंध में। **प्रपत्र :–** ब **स्वीकृत निविदा दर/राशि :–** रू. 86,28,08,417.76 (11.09 % above) **ठेकेदार का नामः–** एन.के. कंस्ट्रक्शन (CGeR05844), अ वर्ग ठेकेदार, बोरसी, जिला–दुर्ग **समय सीमाः–** 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	23.12.2025	77वां मण्डल सम्मिलन दि. 12.12.2024 के एजेण्डा क्र. 04 संकल्प क्र. 2067/04/77/12/2024	रू. 10858.00 लाख
04	**कार्य का नाम :–** टाटीबंध, रिंग रोड नंबर 02 रायपुर में 45 एम.आई.जी. प्रकोष्ठ भवन, 23 नग दुकान, 02 नग पेंट हॉउस एवं क्लब हॉउस का निर्माण/विकास कार्य। **प्रपत्र :–** अ **स्वीकृत निविदा दर/राशि :–** रू. 137429038.90 as per 11.77% Above PWD SOR **ठेकेदार का नामः–** मे. जे.पी.एस. कंस्ट्रक्शन (CGeR11005), अ वर्ग ठेकेदार, रायपुर **समय सीमाः–** 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	11.02.2026	74वां मण्डल सम्मिलन दि. 04.03.2024 के एजेण्डा क्र. 08 संकल्प क्र. 2008/08/74/03/2024	रू. 1693.00 लाख
05	**कार्य का नाम :–** स्ववित्तीय अटल विहार योजना फेस–।। अंतर्गत पुलगांव, जिला–दुर्ग में 10 नग एच.आई.जी. (डुप्लेक्स), 27 नग एम.आई.जी. (डुप्लेक्स), 132 नग एल.आई.जी. स्वतंत्र भवन (कुल 169 स्वतंत्र भवनों) एवं 14 नग किओस्क शॉप का निर्माण कार्य एवं 6.80 एकड़ भूमि का विकास कार्य। **प्रपत्र :–** फ **स्वीकृत निविदा दर/राशि :–** रू. 549745200.00 13.50% Above **ठेकेदार का नामः–** गोयल ट्रेडर्स, अ वर्ग ठेकेदार (CGeR10211), ओव्हरब्रिज कॉम्पलेक्स, शॉप नं. 03, धमधा रोड, दुर्ग (छ.ग.) **समय सीमाः–** 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	11.02.2026	84वां मण्डल सम्मिलन दि. 02.09.2025 के एजेण्डा क्र. 05 संकल्प क्र. 2129/05/84/09/2025	रू. 6831.89 लाख

06	**कार्य का नाम** :– जिला–जशपुर अंतर्गत पंडरापाठ, तहसील–सन्ना, विकासखण्ड – बगीचा में प्रस्तावित आर्चरी अकादमी परिसर का निर्माण कार्य की निविदा दर स्वीकृति के संबंध में। **प्रपत्र** :– अ **स्वीकृत निविदा दर/राशि** :– रू. 13,48,95,874.50 as per 8.73% Above PWD SOR **ठेकेदार का नामः**– मेसर्स विनोद कुमार जैन, (CGeR02258) 'अ' वर्ग ठेकेदार, जशपुर **समय सीमाः**– 18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	11.02.2026	कार्यालय कलेक्टर, (जिला नजारात शाखा), जिला–जशपुर का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्र. GENS-11/9849/2025-COLL JASP NAZARAT SEC दिनांक 09.12.2025	रू. 2053.70 लाख
07	**कार्य का नाम** :– जिला–सूरजपुर अंतर्गत अटल विहार योजना ग्राम–पर्री, जिला–सूरजपुर में प्रस्तावित 03 नग एच.आई.जी., 47 नग एम.आई.जी., 60 नग एल.आई.जी. एवं 40 नग ई.डब्ल्यू.एस. स्वतंत्र भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य की निविदा दर स्वीकृति के संबंध में। **प्रपत्र** :– फ **स्वीकृत निविदा दर/राशि** :– रू. 17,11,13,004.00 (1.91 % above) **ठेकेदार का नामः**– मेसर्स प्रकाश कार्पोरेट, अ वर्ग ठेकेदार (CGeR10453), भैयाथान रोड, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) **समय सीमाः**– 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	11.02.2026	80वां मण्डल सम्मिलन दि. 15.01.2025 के एजेण्डा क्र. 03 संकल्प क्र. 2081/03/80/01/2025	रू. 3766.06 लाख

एजेण्डा–04 संकल्प कं. 2187/04/86/05/2026.

विषयः– 85वॉ मण्डल सम्मिलन के पश्चात् आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यो की प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति को संचालक मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने बाबत्।

संचालक मण्डल 85वॉ मण्डल सम्मिलन के पश्चात् आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति से संचालक मण्डल अवगत हुआ।

क.	कार्य का नाम	प्रशा. स्वी. राशि	पत्र क./दिनांक
1	2	3	4
1	जीएसटी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विक्रय किये जाने हेतु अभिलाषा परिसर तिफरा बिलासपुर में निर्मित प्रकोष्ठ भवनों के मरम्मत कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।	70.80	742/ 06.03.2026
2	अटल विहार योजनांतर्गत सरगंवा अम्बिकापुर के निर्मित कॉलोनी में कार्यालय भवन, आवासीय भवन एवं दुकान (कॉमर्सियल प्लॉट नं.–01 सीनि.एम.आई.जी.–15 एवं जूनि.एम.आई.जी.–42 के पास), (कॉमर्सियल प्लॉट नं.–02, जूनि. एम.आई.जी.–85 एवं एल.आई.जी. –53 के पास) एवं कॉमर्सियल प्लॉट नं.–03, एल.आई.जी.–86 एवं एल.आई.जी.–129 के पास) के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	235.57	1123/ 15.05.2026
	कुल	**306.37**	

एजेण्डा–05 संकल्प कं. 2188/05/86/05/2026.

विषयः– दीनदयाल आवास कॉलोनी कोहका, तिल्दा, रायपुर में व्यवसायिक सह आवासीय प्रकोष्ठ भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करने बाबत्।

संचालक मंडल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत दीनदयाल आवास योजना कॉलोनी कोहका तिल्दा, रायपुर में आवासीय सह व्यवसायिक परिसर हेतु आरक्षित भूखण्ड पर 27 नग दुकानों एवं 49 नग एम.आई.जी. प्रकोष्ठ भवनों के निर्माण कार्य हेतु राशि रू.1036.85 लाख (रूपये एक हजार छत्तीस लाख पच्चयासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा आगामी सभी प्रकार की अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–06 संकल्प कं. 2189/06/86/05/2026.

विषयः– निर्माण कार्य हेतु GST Payment System एवं Royalty Clearance Certificate संबंधी वर्तमान व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए एक समान मानक प्रक्रिया लागू किये जाने बाबत्।

संचालक मण्डल राज्य सरकार द्वारा सभी निर्माण विभागों में GST एवं Royalty भुगतान के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी एक समान मानक प्रक्रिया को मण्डल के निर्माण कार्यों में भी लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है तथा आगामी सभी प्रकार की अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–07 संकल्प कं. 2190/07/86/05/2026.

विषयः– स्ववित्तीय अटल विहार योजनांतर्गत गिनाबहार जिला जशपुर में 06 नग एम.आई.जी., 64 नग एल.आई.जी. एवं 27 नग ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण तथा 7.00 एकड भूमि का विकास कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संचालक मंडल द्वारा स्ववित्तीय अटल विहार योजनांतर्गत गिनाबहार जिला जशपुर में 06 नग एम.आई.जी., 64 नग एल.आई.जी. एवं 27 नग ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण तथा 7.00 एकड भूमि का विकास कार्य की राशि रू.1715.71 लाख (रूपये एक हजार सात सौं पन्द्रह लाख एकहत्तर हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन किया जाता है तथा आगामी सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–08 संकल्प कं. 2191/08/86/05/2026.

विषयः– लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गए भवन कार्य हेतु PWD SOR 20.04.2026, सड़क कार्य हेतु PWD SOR 20.04.2026 एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य हेतु PWD SOR 10.04.2026 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में लागू किये जाने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से भवन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गए PWD SOR 20.04.2026, सड़क कार्य हेतु PWD SOR 20.04.2026 एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य हेतु PWD SOR 10.04.2026 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में औपचारिक रूप से लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है तथा आगामी सभी प्रकार की अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

–07–

एजेण्डा–09 संकल्प कं. 2192/09/86/05/2026.

विषयः– माननीय जिला न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, श्रम न्यायालय, जिला अधिकारी एवं निम्न स्तर के न्यायालय हेतु छ.ग.गृह निर्माण मण्डल में पैनल अधिवक्ता सम्मिलित करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट–1(5) अन्य शक्तियों के तहत (1) श्री विनोद प्रधान, अधिवक्ता, बी–16 शंकर नगर रायपुर, (2) श्री सुनील सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, वार्ड नं. 07 हनुमान मंदिर घरघोड़ा जिला–रायगढ़, (3) श्री धनराज जैन, अधिवक्ता, 82क सिदेसर कांकेर उत्तर बस्तर, जिला–कांकेर, (4) श्री अभिषेक अग्रवाल, अधिवक्ता, H.N., Behind Bakshi Dental Clinic, Sunder Nagar, Raipur को क्रमशः मुख्यालय के आदेश क्रमांक 11–54 दिनांक 02.02.2026 आदेश क्रमांक 17–72 दिनांक 10.02.2026, आदेश क्रमांक 18–73 दिनांक 10.02.2026, तथा आदेश क्रमांक 23–94 दिनांक 02.03.2026 द्वारा माननीय जिला न्यायालय, जिला उपभोक्ता फोरम, श्रम न्यायालय, जिला अधिकारी एवं निम्न स्तर के न्यायालय हेतु, उक्त चारों अधिवक्ताओं को मण्डल पेनल में मण्डल अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–10 संकल्प कं. 2193/10/86/05/2026.

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, राज्य उपभोक्ता फोरम, राज्य मध्यस्थम, राजस्व न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालय हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में मण्डल पैनल अधिवक्ता सम्मिलित करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट–1(5) अन्य शक्तियों के तहत (1) श्री सुधांसु उपाध्याय, अधिवक्ता, एच.आई.जी.–44 सी सी.जी.एच.बी.कालोनी अभिलाषा परिसर बिलासपुर, (2) श्री अभिषेक चन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता, Office : M-8, Rama Life City, Sakri Bilaspur, Residence : H.No.8, Vivekanand Nagar, Main Road Raipur से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 17.02.2026, (3) श्री विवेक सिद्धार्थ ओझा, अधिवक्ता Office-House No. 126, R/4 Aashirwad Valley, Bodri Raipur Road Bilaspur (C.G.) को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, राज्य उपभोक्ता फोरम, राज्य मध्यस्थम, राजस्व न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालय हेतु मण्डल पेनल में मण्डल अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–11 संकल्प कं. 2194/11/86/05/2026.

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय स्तर के फोरम एवं ट्रिब्यूनल के न्यायालय हेतु अधिवक्ता सुश्री जया चौधरी नई दिल्ली को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मण्डल अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट–1(5) अन्य शक्तियों के तहत सुश्री जया चौधरी अधिवक्ता, नई दिल्ली को माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय स्तर के फोरम एवं ट्रिब्यूनल के न्यायालय हेतु मण्डल पेनल में मण्डल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त के कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–12 संकल्प कं. 2195/12/86/05/2026.

विषयः– अधिवक्ता श्री अंजिनेश शुक्ला को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मण्डल अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट–1(5) अन्य शक्तियों के तहत अधिवक्ता श्री अंजिनेश शुक्ला, रायपुर को जिला न्यायालय/जिला उपभोक्ता फोरम/श्रम न्यायालय/जिला अधिकारी एवं निम्न स्तर के न्यायालय हेतु मण्डल पैनल में मण्डल अधिवक्ता संस्था/अधिवक्ता के रूप में नियुक्त के कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–13 संकल्प कं. 2196/13/86/05/2026.

विषयः– विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी–2022 के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत लिये जाने के देयक का भुगतान के संबंध में।

संचालक मंडल द्वारा प्रकरण में कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत का, **Trust law Advocates & Solicitors New Delhi** द्वारा प्रेषित अधिवक्ता शुल्क रू.5,25,000.00 एवं कॉन्फ्रेन्स शुल्क राशि रू.1,50,000.00 कुल राशि रू.6,75,000.00 में से (कुल राशि रू.6,75,000.00–रू.4,100.00 = रू.6,70,900.00) इस प्रकार शेष राशि 6,70,900.00 का भुगतान की स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा आगामी अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है ।

एजेण्डा–14 संकल्प कं. 2197/14/86/05/2026.

विषयः– राज्य शासन के पेंशनरों के समान मंडल के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें मण्डल में यथावत लागू किये जाने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 12/2026 क्र. RULE/478/2025-FINANCE दिनांक 08.04.2026 (प्रतिबंधों के अधीन) को मण्डल में यथावत लागू करते हुए मण्डल के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन की पुनरीक्षित महंगाई राहत की दरें स्वीकृत की जाती है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता हैः–

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	01 जनवरी 2026	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3%	58%
छठवां वेतनमान	01 जनवरी 2026	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5%	257%

एजेण्डा–15 संकल्प कं. 2198/15/86/05/2026.

विषयः– धनादेशों पर दोहरा हस्ताक्षर के स्थान पर केवल पत्र के माध्यम से एकल हस्ताक्षर से NEFT/RTGS प्रणाली को प्राथमिक भुगतान के रूप में लागू किये गये प्रस्ताव का कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम 1972 के लेखा नियम 1991 के अनुभाग–4 के कंडिका 4.2.4 एवं कंडिका क्रमांक 4.3 नकद प्रबंध के परिप्रेक्ष्य में मण्डल आदेश क्र. 20 दिनांक 11.02.2026 एवं आदेश क्र. 27 दिनांक 20.02.2026 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में मुख्यालय (निर्माण) एवं मुख्यालय (लेखा) हेतु कार्यालय द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के निष्पादन हेतु धनादेशों पर दोहरा हस्ताक्षर के स्थान पर केवल पत्र के माध्यम से एकल हस्ताक्षर (अधिकृत मुख्य लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी) से **NEFT/RTGS** प्रणाली को प्राथमिक भुगतान माध्यम के रूप में लागू किया गया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–16 संकल्प कं. 2199/16/86/05/2026.

विषयः– राज्य शासन के कर्मचारियों के समान मंडल के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की पुनरीक्षित दर को मण्डल में यथावत लागू किये गये प्रस्ताव का कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।

संचालक मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय के आदेश क्र. 03/लेखा/2026 दिनांक 03.02.2026 द्वारा छ.ग शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 3/2026 क्र. RULE/478/2025-FINANCE नवा रायपुर दिनांक 14.01.2026 को मण्डल में यथावत लागू करते हुए मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दरें स्वीकृत की गई है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता हैः–

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 01 जनवरी 2026	3%	58%
छठवां वेतनमान	दिनांक 01 जनवरी 2026	5%	257%

एजेण्डा–17 संकल्प कं. 2200/17/86/05/2026.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के लेखों का वार्षिक विवरण (बैलेंससीट) का अनुमोदन बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 74 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के लेखों का वार्षिक विवरण (बैलेंससीट) मण्डल से अनुमोदित किया जाता है व राज्य सरकार के निर्देशानुसार संबंधित संपरीक्षक से संपरीक्षा कराने व अन्य कार्यवाही हेतु मुख्य लेखा अधिकारी को प्राधिकृत करते हुए, अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–18 संकल्प कं. 2201/18/86/05/2026.

विषयः– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत् सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों के आरक्षण हेतु समस्त प्रवर्ग श्रेणी के दिव्यांगता के पदों का चिन्हांकन।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत् सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगजनों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2026 के अनुसार मण्डल में यथावत लागू किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया जाता है एवं अन्य कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–19 संकल्प कं. 2202/19/86/05/2026.

विषयः– अपराध क्रमांक–07/2026, धारा–7, 12 भ्र.नि.अधि. 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018, विरूद्ध– (1) श्री पूनम चन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त (अधीक्षण अभियंता) छ.ग. गृह निर्माण मण्डल वृत्त अंबिकापुर एवं (2) श्री अनिल सिन्हा, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग अंबिकापुर (छ.ग.) के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदाय करने बाबत।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से श्री पूनमचंद अग्रवाल, उपायुक्त (निलंबित) एवं श्री अनिल सिन्हा, वरिष्ठ सहायक (निलंबित) को न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (1) बी०/सी० के अन्तर्गत शासन/विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति हेतु निर्णय लिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया जाता है तथा आगामी सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–20 संकल्प कं. 2203/20/86/05/2026.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 की अनुसूची–02 के सरल क्रं. 14 एवं 15 में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दायर याचिका WP(s) No. 8189/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 के परिपालन में मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 के अनुसूची–दो के सरल कमांक 14 एवं 15 की टिप्पणी 07 को विलोपित किये जाने के प्रस्ताव पर मण्डल भर्ती विनियम में समग्र परिवर्तन हेतु पूर्व में विचाराधीन प्रस्ताव के साथ आगामी संचालक मण्डल की बैठक में रखे जाने का अनुमोदन किया गया एवं सभी प्रकार की अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–21 संकल्प कं. 2204/21/86/05/2026.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय / व्यवसायिक भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के वर्तमान में ऑनलाईन ऑफर पद्धति से विक्रय प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए, भवन आबंटन निरस्तीकरण पुर्नजीवित प्रक्रिया के संबंध में निम्न बिन्दुओं में स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

i. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की आवासीय/व्यवसायिक भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुर्नजीवित किए जाने के प्रक्रिया को समाप्त करते हुए पूर्व में जारी समस्त आदेशों/परिपत्रों को निरस्त किया जाता है।
ii. संपत्ति आबंटन निरस्तीकरण के पश्चात् तत्काल उस संपत्ति का अद्यतन मूल्य निर्धारण अनुमोदित कराते हुए शीघ्र 01 माह के भीतर विक्रय हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।
iii. आबंटन निरस्तीकरण पश्चात् संबंधित हितग्राही के जमा राशि को आबंटन के नियम–शर्तों के अधिन वापसी की कार्यवाही की जावे।

तथा अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–22 संकल्प कं. 2205/22/86/05/2026.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा विकसित कालोनियों में शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू–खण्डों के विक्रय/आबंटन हेतु नियम/शर्तो एवं दिशा–निर्देश में परिवर्तन/संशोधन करने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के कॉलोनियों में शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखण्ड को शिक्षण संस्थाओं को विक्रय/आबंटन किये जाने हेतु पूर्व में जारी "आबंटन निर्देश 2011" के कंडिकाओं में संशोधन करते हुए संशोधित नियम/शर्तें एवं " आबंटन निर्देश 2026" जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–23 संकल्प कं. 2206/23/86/05/2026.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के वन टाईम सेटलमेंट–॥ योजना अंतर्गत चिन्हांकित आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्ति के विक्रय के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के वन टाईम सेटलमेंट–।। (OTS-2) अंतर्गत चिन्हांकित संपत्तियों के आंतरिक एवं बाह्य स्थिति में सुधार/मरम्मत कराये जाने से वर्तमान में विक्रय हेतु शेष उपलब्ध संपत्तियों के विक्रय की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं में स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के OTS-2 अंतर्गत चिन्हांकित आवासीय संपत्तियों में वर्तमान में विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों, जिनकी आंतरिक स्थिति तथा बाह्य विकास (कॉमन सीवरेज, जल प्रदाय, विद्युत, लिफ्ट, कॉमन ऐरिया में टूटफुट) खराब होने के कारण, संपत्ति का विक्रय प्रभावित हो रहा है, ऐसे संपत्तियों की छूट पूर्व प्रति भवन मूल्य का (अधिकतम 10 प्रतिशत) उपयोग, भवन के आंतरिक कार्य के मरम्मत (दरवाजे, खिडकी, विद्युत, सेनेटरी कार्य आदि) एवं कॉमन बाह्य विकास कार्य हेतु किया जावें। उक्त कार्य के व्यय राशि को नियमानुसार विक्रय हेतु उपलब्ध भवन के मूल्य में स्वीकृत छूट पश्चात् राशि (ऑफसेट मूल्य) में भारित किया जावे।

2) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के OTS-2 अंतर्गत चिन्हांकित व्यवसायिक संपत्तियों में वर्तमान में विक्रय हेतु उपलब्ध दुकानों/ऑफिस हॉल, जिनकी बाह्य स्थिति खराब होने के कारण, संपत्ति का विक्रय प्रभावित हो रहा है। ऐसे संपत्तियों की छूट पूर्व प्रति भवन मूल्य का (अधिकतम 10 प्रतिशत) उपयोग बिल्डिंग के बाह्य सुविधाओं (कॉमन सीवरेज, कॉमन जलप्रदाय, विद्युत, लिफ्ट, कॉमन ऐरिया इत्यादि) की मरम्मत, प्रकोष्ठ भवनों का रंगरोगन (फेसलिफ्टिंग) एवं आंतरिक कार्य हेतु किया जावें। उक्त कार्य के व्यय राशि को नियमानुसार विक्रय हेतु उपलब्ध भवन के मूल्य में स्वीकृत छूट पश्चात् राशि (ऑफसेट मूल्य) में भारित किया जावे।

3) योजनांतर्गत अविक्रित संपत्तियों का मरम्मत कार्य के प्राक्कलन (Estimate) (जो किसी भी स्थिति में भवन के 10% छूट की राशि से अधिक न हो) संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा संबंधित उपायुक्त/अपर आयुक्त के अनुशंसा पश्चात् मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे तथा मुख्यालय की गठित समिति द्वारा प्रस्तावित मरम्मत पश्चात् विक्रय की संभावना को देखते हुए एवं गुण–दोष एवं वित्तीय सीमा के आधार पर प्रस्ताव में अभिमत/अनुशंसा सहित आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मण्डल से प्रशासकीय स्वीकृति एवं सक्षम तकनीकी स्वीकृति पश्चात् ही मरम्मत का कार्य किया जावें।

4) उक्त मरम्मत कार्य को चरणबद्ध, तल–वार किया जावेगा, जिसमें ज्यादा विक्रय हुआ है, उस तल/ब्लॉक में मॉडल हाउस का निर्माण किया जावे, जिससे संपत्ति क्रय करने हेतु इच्छुक हितग्राहियों को दिखाया जा सके। अंत में मॉडल हाउस को भी उसमें हुए व्यय राशि को छूट पश्चात् मूल्य में समायोजित कर विक्रय किया जावे।

5) परिसर/भवनों के बाह्य विकास कार्य एवं फेसलिफ्टिंग में होने वाले व्यय राशि हेतु कॉलोनी के रख–रखाव मद में उपलब्ध राशि अथवा परियोजना एकाउंट में उपलब्ध राशि (यदि हो तो) का भी उपयोग किया जा सकता है।

6) OTS-2 योजना छत्तीसगढ़ शासन से अनुमोदित है, अतः उपरोक्त बिन्दु क्र. 01 से 05 तक के निर्णय से छत्तीसगढ़ शासन को सूचित किया जावें।

अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

–13–

एजेण्डा—24 संकल्प कं. 2207/24/86/05/2026.

विषयः— मण्डल की निर्मित/निर्माणाधीन योजनातर्गत अविक्रित आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों के विक्रय हेतु कार्य योजना वर्ष 2026—27 के स्वीकृति के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल की निर्मित/निर्माणाधीन/नवीन रिक्त आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों के विक्रय हेतु प्रचार—प्रसार में प्रस्तावित विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय राशि रु. 369.00 लाख की वित्तीय सीमा तक के कार्ययोजना और कुल राशि के अंतर्गत विभिन्न मदों में प्रस्तावित राशियों को परिवर्तित/समायोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य सभी प्रकार के अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा—25 संकल्प कं. 2208/25/86/05/2026.

विषयः— क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख—रखाव हेतु लायसेंस आधार पर पी.पी.पी. मोड के तहत् एजेंसी नियुक्त करने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा विशेष आवासीय योजना पुरैना, रायपुर में निर्मित क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख—रखाव हेतु पी.पी.पी. मोड के आधार पर एजेंसी नियुक्त करने हेतु प्रस्तुत निविदा प्रपत्र एवं लायसेंस अनुबंध प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है तथा आगामी समस्त प्रकार के टेक्नो—कॉमर्शियल नियम व शर्तों के निर्धारण तथा अन्य अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा—26 संकल्प कं. 2209/26/86/05/2026.

विषयः— स्ववित्तीय योजनांतर्गत सारधा (लोरमी), जिला मुंगेली में 200 नग ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निर्माण एवं 5.00 एकड़ भूमि के बाह्य विकास कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन बाबत्।

संचालक मंडल द्वारा स्ववित्तीय योजनांतर्गत सारधा (लोरमी), जिला मुंगेली में 200 नग ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निर्माण एवं 5.00 एकड़ भूमि के बाह्य विकास कार्य की राशि **रू.1693.77 लाख** (रूपये सोलह सौं तिरानवे लाख सतहत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया जाता है एवं समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–27 संकल्प कं. 2210/27/86/05/2026.

विषयः– राज्य शासन के कर्मचारियों के समान मण्डल के कर्मचारियों को दिनांक 01 नवंबर 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) मण्डल में यथावत लागू करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से मण्डल के आदेश क. 100 दिनांक 28.02.2009 एवं आदेश क. 95 दि. 24.02.2009 तथा आदेश क. 69 दिनांक 04.03.2010 को संशोधित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 11/2022 क. 282/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 11.05.2022 एवं वित्त निर्देश 02/2023 क. 39/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 20.01.2023, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधिसूचना कमांक एफ 2016–04–03289/ वि/नि/चार दिनांक 11.05.2022 एवं संशोधित अधिसूचना कमांक एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 20.01.2023 एवं वित्त विभाग के वित्त निर्देश 11/2023 कमांक 108/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 28.02.2023 तथा वित्त निर्देश 03/2023 क. 48/एफ 2016–04–03289/वि/ नि/चार दिनांक 25.01.2023 के अंतर्गत राज्य शासन के दिशा–निर्देश अनुसार दिनांक 01 नवंबर 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) को मण्डल कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना के प्रावधानों को लागू करते हुए योजना अंतर्गत जमा कोष का लेखांकन व संधारण मण्डल स्तर पर एवं मण्डल की वित्तीय स्त्रोतों पर प्रभारित किये जाने के प्रावधान लागू किये जाने तथा छ.ग शासन, वित्त विभाग का अधिसूचना क./2103/ब/4/संसा/चार दिनांक 17.07.2025 में राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.08.2025 से राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिये केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय के प्रस्ताव पर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–28 संकल्प कं. 2211/28/86/05/2026.

विषयः– अधिवक्ता श्री विद्यानंद मिश्रा अम्बिकापुर को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मण्डल अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट–1(5) अन्य शक्तियों के तहत अधिवक्ता श्री विद्यानंद मिश्रा अम्बिकापुर को जिला न्यायालय/जिला उपभोक्ता फोरम/श्रम न्यायालय/जिला अधिकारी एवं निम्न स्तर के न्यायालय हेतु मण्डल पैनल में मण्डल अधिवक्ता संस्था/अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–29 संकल्प कं. 2212/29/86/05/2026.

विषयः– अधिवक्ता श्री राहुल शर्मा बिलासपुर को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट–1(5) अन्य शक्तियों के तहत अधिवक्ता श्री राहुल शर्मा बिलासपुर को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, राज्य उपभोक्ता फोरम, राज्य मध्यस्थम, राजस्व न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालय हेतु मण्डल पैनल में मण्डल अधिवक्ता संस्था/अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–30 संकल्प कं. 2213/30/86/05/2026.

विषयः– अधिवक्ता श्री ऋषि राज पिठवा रायपुर को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट–1(5) अन्य शक्तियों के तहत अधिवक्ता श्री ऋषि राज पिठवा, रायपुर को जिला न्यायालय/जिला उपभोक्ता फोरम/श्रम न्यायालय/जिला अधिकारी एवं निम्न स्तर के न्यायालय हेतु मण्डल पैनल में मण्डल अधिवक्ता संस्था/अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–31 संकल्प कं. 2214/31/86/05/2026.

विषयः– मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों का राज्य के बाहर उपचार पश्चात प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान प्रस्ताव के स्वीकृति के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 परिशिष्ट–1. 5. अन्य शक्तियॉ अंतर्गत :–

कं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम पदनाम	आश्रित सदस्य का नाम/संबंध	चिकित्सालय का नाम	सिविल सर्जन से प्रतिहस्ताक्षर उपरांत भुगतान योग्य कुल राशि
1	श्री अजीत सिंह पटेल, अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र–बिलासपुर	श्रीमती किरण पटेल, पत्नी	कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हास्पिटल मुंबई	1,56,298.00
2	श्री राजेश कुमार दंदेलिया कार्यपालन अभियंता, संभाग–जगदलपुर	श्रीमती भारती दंदेलिया, पत्नी	मेदांता हॉस्पिटल गुरूग्राम हरियाणा	4,21,813.00
3	स्व. श्री सुखनंदन सिंह नेताम, सहायक अभियंता संभाग–जगदलपुर	स्वयं	अपोलो हास्पिटल, जुबली हिल्स हैदराबाद	4,66,039.00
4	श्री सूर्यकांत गुप्ता, उप अभियंता, संभाग–रायगढ़	शिव कुमार गुप्ता पिता	अपोलो हास्पिटल, जुबली हिल्स हैदराबाद	5,56,223.00
5	श्री सन्नी घोरे उप अभियंता, संभाग–बिलासपुर	श्री ध्रुव कुमार घोरे, पिता	कार्डियक सेंटर उषा मुल्लापुड़ी, हैदराबाद	17,708.00
6	श्री जी. व्ही.एस.एन. मूर्ति, वरिष्ठ सहायक, संभाग–बिलासपुर	जी. वेन्कट सावनी, पुत्री	ओमनी आर.के. सुपर स्पेसिलिटि वाइजेग हॉस्पिटल हैदराबाद	2,00,683.00

उपरोक्तानुसार अधिकरियों/कर्मचारियों के राज्य के बाहर मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से उपचार उपरांत सिविल सर्जन से सत्यापन/प्रमाणिकरण पश्चात भुगतान योग्य कुल राशि **रू. 18,18,764.00** की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया तथा अन्य अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त एजेण्डा–32 संकल्प कं. 2215/32/86/05/2026.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मण्डल अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने बाबत्। (1) अधिवक्ता श्रीमती सपना शर्मा एवं (2) अधिवक्ता श्रीमती रमा पाण्डेय

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट–1(5) अन्य शक्तियों के तहत 1) अधिवक्ता श्री सपना शर्मा रायपुर तथा (2) अधिवक्ता श्रीमती रमा पाण्डेय बिलासपुर को जिला न्यायालय/जिला उपभोक्ता फोरम/श्रम न्यायालय/जिला अधिकारी एवं निम्न स्तर के न्यायालय हेतु मण्डल पैनल में मण्डल अधिवक्ता संस्था/अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त एजेण्डा–33 संकल्प कं. 2216/33/86/05/2026

विषय :– मण्डल में जनसंपर्क अधिकारी का पद सृजित किये जाने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण पर समिति द्वारा दी गई अनुशंसानुसार जनसंपर्क अधिकारी का 01 पद सृजित करने हेतु प्रस्ताव शासन की ओर प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं अन्य अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया गया ।

"धन्यवाद उपरांत सम्मिलन समाप्त हुआ"।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क. 570 / आ.आ. / मण्डल / एफ–2005 / 2026 नवा रायपुर, दिनांक. 01/06/2026

1 निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
2 स्टॉफ आफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
3 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर ।
4 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
5 आयुक्त सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
6 क्षेत्रीय प्रमुख, हाऊसिग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) रायपुर ।
7 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
8 एन.आई.सी., मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर